राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक–07.04.2016

प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः – दिनांक 24.04.2016 को प्रस्तावित ग्राम सभाओं में भामाशाह योजना के माध्यम से दिये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाने बाबत्।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है माननीया मुख्यमंत्री महोदया के बजट भाषण 2016–17 के बिन्दु संख्या 227 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा का आयोजन कर भामाशाह योजना के माध्यम से दिये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम सभा में रखा जाएगा।

बजट घोषणा की अनुपालना हेतु वर्ष 2015–16 में भामाशाह योजना के माध्यम से हस्तांतरित किए गए लाभों का प्रथम प्रशासनिक प्रतिवेदन दिनांक 24.4.2016 को होने वाली ग्राम सभाओं में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करें:–

1. दिनांक 20.04.2016 तक ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतवार प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति मुद्रित व बाईंडिंग करवाली जाएगी जिसे संबंधित ग्राम सेवक द्वारा दिनांक 24.04.2016 से पूर्व ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा।
2. ग्राम सेवक द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन अनुसार ग्रामवार विभिन्न योजनाओं के भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तांतरित लाभों को ग्राम सभा में पढकर सुनाया जाएगा। तथा लाभार्थी विशेष द्वारा लाभों की जानकारी पूछने पर उसे प्रदान किए गए लाभों की जानकारी दी जाएगी।
3. ग्राम सभा में सभी निवासियों को भामाशाह योजना से जुड़ने के लाभों से अवगत कराया जाएगा। भामाशाह योजना की संक्षिप्त जानकारी संबंधित सामग्री प्रशासनिक प्रतिवेदन के साथ ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा ग्राम सेवक को उपलब्ध करवाई जाएगी।
4. यह प्रतिवेदन ग्राम पंचायत में आगामी पाँच वर्षो तक सुरक्षित रखा जाएगा। आम निवासी उसको प्रदान किए गए लाभों की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर सकता है।

5. ग्राम सेवक द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर ग्राम सभा आयोजन की फोटो, ई-मित्र अथवा ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से भामाशाह पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को दिनांक 24.04.2016 को प्रस्तावित ग्राम सभाओं में प्रथम प्रशासनिक प्रतिवेदन रखने के आवश्यक निर्देश प्रदान करें। साथ ही भविष्य में होने वाली ग्राम सभाओं में प्रशासनिक प्रतिवेदन रखने के लिए विभागीय नियमों में आवश्यक संशोधन करावें।

(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक-07.04.2016

प्रतिलिपिः-

1 वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2 समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, समस्त जिला.....
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिला.....
4 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.....
5 एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.....
6 सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.....

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना